Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

लिछमा देवी आदि बनाम सावित्रीदेवी आदि

किस्म मुकदमा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 66 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2019	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 101/398 मु.न. 44 के किला नम्बर 16,17,21, 22, 23, 24, 25 में 1.7710 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 100/398 मु.न.45 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22 का 1.0120 हैक्टेयर कमाण्ड दोनो पत्थरो का 2.7830 हैक्टेयर रकबा खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। इसी चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 102/398 मु.न. 43 का किला नम्बर 15, 16, 17, 21 ता 25 में 2.024 हैक्टेयर कमाण्ड व पत्थर नम्बरं 100/398 मु.न. 45 का किला नम्बर 1, 2, 3/2, 8/1 से 10, 12, 13, 14/2, 17/2, 18, 19, 23, 24, 25/2 में 3.3270 कमाण्ड दोनो पत्थरो में 5.3510 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि अप्रार्थीया न. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीया न. 1 के रकबा के उतर वाले मुरब्बा में किला नम्बर 21 ता 25 की लाईन में पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रत्येक बीघा में 2 – 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार होकर मौका पर चल रहा हैं। पश्चिम में यह रास्ता पक्की सड़क से जुड़ता हैं। इस खेत के रास्ते से प्रार्थीगण के खेत पत्थर नम्बर 100/398 व 101/398 की पत्थर लाईन के उपरी दिशा में चिपता हुआ चल रहा हैं। प्रार्थीगण अपने रकबा पत्थर नम्बर 100/398 के किला नम्बर 11,20, 21, 22 तक व पत्थर नम्बर 101/398 के किला नम्बर 15, 16, 21 ता 25 तक जाने के लिए अप्रार्थीया न. 1 के नाम से दर्ज खातेदारी रकबा चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 100/398 मु.न. 45 के किला नम्बर 1–10 में से पत्थर लाईन के चिपते हुए पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण चल कर अपने सांझे खाते के रकबा इसी पत्थर के किला न. 11 में अपने खेत में घुस जाता हैं। यहीं रास्ता काफी वर्षो से प्रार्थी अपने खेत तक आने जाने के काम में ले रहा हैं इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपने खेत तक आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है व यहीं रास्ता प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। प्रत्येक बीघा यानि किला नम्बर 1 – 10 प्रत्येक में 1½–1½ बिस्वा यानि प्रत्येक बीघा(हर दो) में 0.0190– 0.0190 हैक्टेयर रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीया चाहे तो डी.एल.सी. के रेट के हिसाब से रकम प्राप्त कर सकती हैं व रकबा के बदले रकबा लेना चाहे तो प्रार्थीगण अपने रकबा किला नम्बर 22 में से अप्रार्थीया के किला नम्बर 23 के चिपता हुआ तीन बिस्वा रकबा देने को तैयार हैं। यह रास्ता स्वीकार कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीगण को भी अपने खेत तक जाने में सुविधा रहेगी। अतः चक 7 एस.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 75/71 के अप्रार्थीया न. 1 के नाम दर्ज पत्थर नम्बर 100/398(45) के किला नम्बर 1 में 1½ बिस्वा(0.0190 हैक्टेयर) व किला नम्बर 10 में 1½ बिस्वा(0.0190 हैक्टेयर) दोनो बीघो में पश्चिम पासा में उतर से दक्षिण तीन बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता मन्जूर किया जावे तथा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण स्वीकृत होने वाले रास्ते के बदले में भूमि के बदले में भूमि अथवा डी.एल.सी. दर से कीमत देने के लिए तैयार हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	2657 22/11/2019

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया न. 1 को जरिये रजि. नोटिस तामील करवाई गई। तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी व प्रस्तुत नक्शा व रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया की तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 101/398 मु.न. 44 के किला नम्बर 16,17,21, 22, 23, 24, 25 में 1.7710 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 100/398 मु.न.45 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22 का 1.0120 हैक्टेयर कमाण्ड दोनो पत्थरो का 2.7830 हैक्टेयर भूमि हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थीगण के रकबा को अन्य रास्ता उपलब्ध होना साबित होता हो। प्रार्थीगण रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार एक काश्तकार को अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता की सुविधा का कानूनी अधिकार हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। चाहे गये रास्ता के लिए भूमि पत्थर नम्बर 100/398(45) के किला नम्बर 1-10 की 0.038 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 सावित्रीदेवी बेवा हरिकिशन के नाम से खातेदारी दर्ज है इसलिए रास्ता की भूमि के बदले में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में से देने पर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 100/398(45) के किला नम्बर 1 व 10 में प्रत्येक में 0.019 हैक्टेयर – 0.019 हैक्टेयर यानि 1½ – 1½ बिस्वा रास्ता (इन किलो की पश्चिमी दिशा में उ़तर से दक्षिण) स्वीकृत कर भूमि गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज होने वाली भूमि 0.038 हैक्टेयर भूमि के बदले में प्रार्थीगण लिछमादेवी पत्नी बंशीलाल, नत्थुराम–सतपाल पि. बंशीलाल जाति बिश्नोई निवासी जानकीदासवाला की खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.डी. के पत्थर नम्बर 100/398(45) के किला नम्बर 11 में 0.038 हैक्टेयर(पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण किला नम्बर 12 के चिपते हुए) अप्रार्थीया संख्या 1 सावित्रीदेवी बेवा हरिकिशन जाति नाई निवासी सूरतगढ़ के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.03 13:01:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: